सं0-40/2020/26मु0स0/सैंतीस-2-2020

प्रेषक,

आलोक सिन्हा,
कृषि उत्पादन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

1- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 18 मई, 2020

विषय- निराश्रित गौवंश को संरक्षित करने हेतु संचालित गौ-आश्रय स्थलों को स्वावलम्बी बनाने हेतु कतिपय उपाय।

महोदय,

आप भली-भांति अवगत हैं कि प्रदेश में निराश्रित गौवंश को संरक्षित करने हेतु विभिन्न गौ-आश्रय स्थलों का संचालन किया जा रहा है, जिन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में वृहद गौ-संरक्षण केन्द्रों अथवा गौ-वन्य विहारों अथवा अस्थायी गौ-आश्रय स्थल आदि के रूप में स्थापित किया गया है तथा नगरीय क्षेत्रों में कान्हा उपवन अथवा कान्हा गौशाला आदि के रूप में जाना जाता है। प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों में अस्थायी गौवंश आश्रय स्थल की स्थापना व संचालन नीति का प्रख्यापन शासनादेश संख्या-4324/सैंतीस-2-2018-6(53)/2018 दिनांक 02 जनवरी, 2019 द्वारा किया गया है।

2- उपर्युक्त शासनादेश के प्रस्तर-3.1 से 3.4 तक में स्पष्ट किया गया है कि अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल की स्थापना, व्यवस्था एवं प्रबन्धन तथा संचालन ग्रामीण अथवा शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किया जाना है, जिसके लिए मनरेगा, निकायों की संचित निधि, वित्त आयोग, खनिज विकास निधि, रायफल निधि, सांसद क्षेत्र विकास निधि एवं विधायक क्षेत्र विकास निधि आदि का उपयोग किया जा सकता है। प्रस्तर-3.5 के अनुसार इन स्थलों में संरक्षित गोवंश के प्रबन्धन एवं भरण-पोषण की व्यवस्था निकायों के स्वयं के स्रोतों से की जानी है। निकायों के संसाधनों में कमी की दशा में ही प्रस्तर-3.6 एवं 3.7 के अनुसार शासन स्तर से अनुदान दिए जाने की व्यवस्था है। इसी शासनादेश के प्रस्तर-3.8.2 में उन गतिविधियों का उल्लेख किया गया है, जो विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कार्यान्वित की जा सकती है। इनमें चारागाह कार्य के अंतर्गत भूमि समतलीकरण, चारे हेतु घास का रोपण, पशुओं के प्रयोग हेतु तालाब की खुदाई एवं वृक्षारोपण आदि मनरेगा योजना की मार्ग-निर्देशिका में अनुमन्य बतायी गयी है। इनके अतिरिक्त आश्रय स्थलों पर अवस्थापना सुविधाओं का सृजन यथा शेड, भण्डार गृह आदि के निर्माण तथा नेडप या वर्मी कम्पोस्ट विधि से जैविक खाद के उत्पादन की परियोजनाओं को भी मनरेगा योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों में अनुमन्यता के अनुसार लिया जा सकता है। इसी शासनादेश के प्रस्तर-4 में गोवंश आश्रय स्थलों के संचालन एवं प्रबन्धन को वित्तीय रूप से स्वावलम्बी बनाने हेतु किए जाने वाले कार्य उल्लिखित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

किए गए हैं, जिनमें बायोगैस, कम्पोस्ट/वर्मी कम्पोस्ट, पंचगव्य आधारित औषधियों/उत्पादों यथा साबुन, अगरबत्ती, मच्छर भगाने की कॉयल, गोनाइल (गोमूत्र से बनी फिनायल), गोबर से बने गमले, लट्ठे आदि का उत्पादन एवं विक्रय शामिल है।

3- उपर्युक्त निर्देशों के क्रम में कतिपय गो-आश्रय स्थलों पर सराहनीय उदाहरण स्थापित किए गए हैं, परन्तु उनकी संख्या काफी न्यून है। प्रायः यह अनुभव किया जा रहा है कि गो-आश्रय स्थलों को स्वावलम्बी बनाने हेतु विशेष प्रयास नहीं किए जा रहे हैं।

4- अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 02 जनवरी, 2019 में दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने हेतु निम्नवत कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाए:-

1. ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित समस्त गो-आश्रय स्थलों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध भूमि के आकार को देखते हुए हरा चारा उत्पादन, वृक्षारोपण, तालाब की खुदाई, घास का रोपण या जैविक खाद का उत्पादन आदि एवं ऐसी परियोजनाएँ, जो मनरेगा के मार्गदर्शी सिध्दान्तों में अनुमन्य हों में से कोई न कोई परियोजना अनिवार्यतः संचालित की जाए तथा उसका विवरण शासन को उपलब्ध कराया जाए। उल्लेखनीय है कि इस समय मानव श्रम की प्रचुर उपलब्धता के दृष्टिगत ये प्रयास रोजगार सृजन में भी कारगर होगा।
2. गोवंश आश्रय स्थलों पर नेडप या वर्मी कम्पोस्ट आदि विधि से तैयार की जाने वाली जैविक खाद का क्रय उद्यान, वन, कृषि एवं अन्य विभागों की उन परियोजनाओं में प्राथमिकता पर किया जाए, जो जैविक खाद के उपयोग पर आधारित हैं। उदाहरण के तौर पर उद्यान एवं वन विभाग की नर्सरियाँ, कृषि विभाग के अंतर्गत औरगैनिक फार्म क्लस्टर्स की स्थापना एवं जैविक खेती को बढावा देने वाली योजनाएं आदि।

   संबंधित विभागों द्वारा इसके लिए अपने विभागीय दिशा-निर्देश निर्गत किए जाएँगे।
3. गोवंश आश्रय स्थलों को स्वावलम्बी बनाए जाने हेतु संचालित की जाने वली विभिन्न गतिविधियों को महिला स्वयं सहायता समूहों के साथ भी जोडा जाए। इससे विभिन्न उत्पादों को तैयार कर उनका विपणन करने में सुविधा होगी तथा अधिकाधिक रोजगार भी सृजित होगा।

उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक सिन्हा)
कृषि उत्पादन आयुक्त।

<u>सं0-40/2020/26मु0स0(1)/सैंतीस-2-2020, तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0शासन को इस आशय से कि आपके विभाग में जैविक खाद से संबंधित संचालित योजनाओं के संबंध में उपर्युक्तानुसार विभागीय निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।
4. निदेशक (प्र0/वि0) पशुपालन निदेशालय, लखनऊ।
5. निदेशक (रो0नि0/प्र0) पशुपालन निदेशालय, लखनऊ।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0प0वि0 परिषद, लखनऊ।
7. समस्त अपर निदेशक, ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, उ0प्र0।
8. समस्त मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, उ0प्र0।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भुवनेश कुमार)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।